कृषि निदेशालय, बिहार।

पत्र संख्या–6 / स्था0वि0प्र0–02 / 16 / कृ0, पटना, दिनांक , 2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना।
जिला कृषि पदाधिकारी –सह–
परियोजना कार्यपालक, पदाधिकारी,
सासाराम, रोहतास।

विषयः– **स्वर्गीय शंकर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक, परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय, सासाराम रोहतास का सेवान्त लाभ एवं अन्य बकाये का भुगतान के संबंध में।**

प्रसंगः– **बिहार विधान परिषद् सचिवालय का पत्रांक–2528 (1) दिनांक 28.11.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं इस संबंध में हाल में आपके स्तर पर अद्यतन कृत कार्रवाई से संबंधी आवश्यक अभिलेख पूर्णरूपेण जॉच कर अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाय ताकि ससमय 183 वॉ सत्र की ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध मे कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराया जा सके।

इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(प्रभु राम)
निदेशक, (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक– / कृ0, पटना, दिनांक , 2016

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदाधिकारी–4 कृषि विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, कृषि के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / माननीय मंत्री कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
निदेशक, (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक– 1129 कृ0 / पटना, दिनांक 6·12 2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय वेब साइट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

5/12/16

निदेशक, (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

D:\ALL File Section -06\Section- 06 (December) 2016\02.12.2016.doc

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र सं0–4/कृ०वि0प0 ध्यानाकर्षण 09/2016 5080 /कृ0 पटना, दिनांक 01/12/ 2016

प्रेषक :

राजीव कुमार,
सरकार के अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय :– स्व0 शंकर प्रसाद सिंह, सेवा निवृत प्रधान लिपिक, परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास को मिलने वाले सेवान्त लाभ एवं अन्य बकाये के भुगतान करने के संबंध में बिहार विधान परिषद् के 183 वां सत्र में माननीय पार्षद श्री केदार नाथ पाण्डेय एवं प्रो0 संजय कुमार सिंह से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में।

प्रसंग:– बिहार विधान परिषद का पत्रांक 2528(1) दिनांक 28.11.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि स्व0 शंकर प्रसाद सिंह, सेवा निवृत प्रधान लिपिक, परियोंजना कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास को मिलने वाले सेवान्त लाभ एवं अन्य बकाये के भुगतान की अद्यतन स्थिति से बिहार विधान परिषद को अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन,
(राजीव कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

कृषि निदेशक कोषांग पत्र पंजी 02 DEC 2016 संख्या 11134 बिहार, पटना

उप निदेशक (प्रशासन) पत्र पंजी 02 DEC 2016 बिहार

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव कोषांग संचिका पंजी संख्या 2307 दिनांक 2.12.16

D\Raushandeep\ 2016 \December\01-12-2016.

पत्रांक:- वि.प.अ.प्र.- 214/2016 - 2528 (1) /वि.प.

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

3 0 NOV 2016

प्रेषक,

ध्रुव नारायण पाठक
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

सेवा में,

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार

पटना, दिनांक 28.11.2016

विषय:- स्वर्गीय शंकर प्रसाद सिंह, सेवा निवृत प्रधान लिपिक, परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास को मिलनेवाले सेवान्त लाभ एवं अन्य बकाए का भुगतान करने के संबंध में माननीय सदस्य श्री केदार नाथ पाण्डेय एवं प्रो. संजय कुमार सिंह का 183वाँ सत्र की ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस सचिवालय के ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र.-214/2016-1652(1)वि.प., दिनांक 28.07.2016 की प्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि दिनांक 03.08.2016 को बिहार विधान परिषद् में माननीय सदस्य श्री केदार नाथ पाण्डेय ने उक्त विषय पर सरकार का ध्यानाकृष्ट किया। तदोपरान्त माननीय मंत्री, श्री राम विचार राय द्वारा सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया। चूंकि लम्बी अवधि व्यतीत होने के बाद अभी अबतक सरकार की ओर से इस विषय में कृत कार्रवाई की सूचना परिषद् सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है विषयांकित मामला के संबंध में अद्यतन स्थिति से यथाशीघ्र परिषद् सचिवालय को अवगत कराना चाहेंगे ताकि वस्तुस्थिति से माननीय सभापति महोदय को अवगत कराया जा सके।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

(ध्रुव नारायण पाठक)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्

1074/003
30/11/16

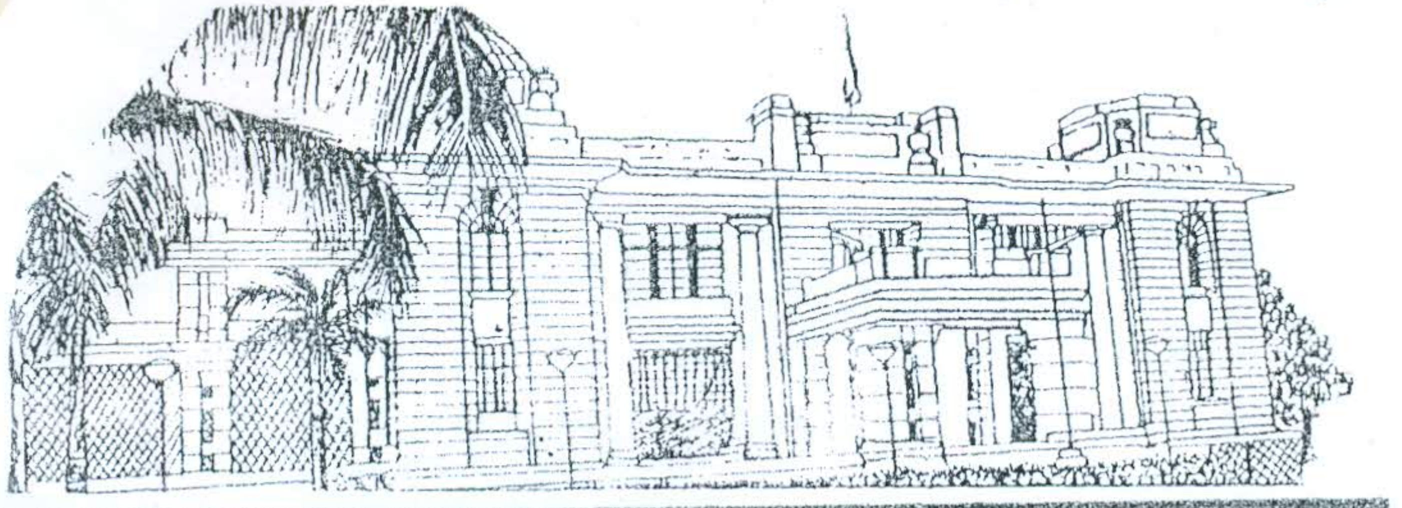

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

स्व. शंकर प्रसाद सिंह, परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय के प्रधान लिपिक के पद से दिनांक- 31.12.2004 को सेवा निवृत्त हुए। सेवांत लाभों तथा अन्य बकाए का भुगतान परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी सासाराम द्वारा विभिन्न आरोप लगा कर रोक दिया गया। बाध्य होकर श्री सिंह माननीय उच्च न्यायालय, पटना की शरण में गए। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सिंह द्वारा दायर वाद सी. डब्ल्यू.जे.सी.- 8140/2007 में सुनवाई के बाद दिनांक-26.09.2008 को न्यायादेश का अनुपालन नहीं किया गया, फलस्वरूप श्री सिंह ने एम.जे.सी.-269/13 दायर किया जिसका फलाफल यह रहा कि परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास ने अपने पत्रांक-32, दिनांक-13.12.2012 द्वारा सेवांत लाभों एवं अन्य बकाए के भुगतान हेतु 11343773.97 (एक करोड़ तेरह लाख तेतालीस हजार सात सौ तिहत्तर रुपए संतानवे पैसे मात्र) के आवंटन की मांग की। इस आलोक में संयुक्त कृषि निदेशक, पटना प्रमण्डल पटना ने अपने पत्रांक-11/आवंटन दिनांक-19.03.2013 द्वारा उक्त राशि का आवंटन परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास को उपलब्ध कराया परंतु येन-केन प्रकारेन श्री शंकर प्रसाद सिंह को जिन्दा रहते कोई लाभ नहीं मिला। उनकी विधवा दर-दर की ठोकरें खा रही हैं।

अतः स्व. शंकर प्रसाद सिंह, सेवा निवृत्त प्रधान लिपिक, परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास को मिलने वाले सेवांत लाभों एवं अन्य बकाए का भुगतान उनकी विधवा श्रीमती मालती देवी, अवधुतनगर, मताढी, सासाराम, रोहतास को करने एवं दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- केदारनाथ पाण्डेय, स.वि.प. एवं,
ह./- संजय कुमार सिंह, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 214/2016 - 1652 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 28.07.2016

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कृषि विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 03.08.2016 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 28.07.2016
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।